



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़
अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर-492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/खनिज/331-262/1072

नवा रायपुर, दिनांक 08/07/2026

प्रति,

अपर मुख्य सचिव

छ.ग शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर

अटल नगर

विषय:-

एस.ई.सी.एल. क्षेत्र भटगांव क्षेत्र के सूरजपुर जिले में स्थित भटगांव भूमिगत कोयला खदान परियोजना के लिए 229.441 हे. (पूर्व में 230.780 हे.) वनभूमि (संरक्षित वनभूमि 63.930 हे. तथा राजस्व वनभूमि 165.511 हे.) के व्यपवर्तन प्रस्ताव में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा File No.: 8-14/2024-FC दिनांक 05.03.2025 के माध्यम से चाही गई सभी 09 बिन्दुओं की जानकारी प्रस्तुत करने बावत्।

पंजीयन क्रमांक- FP/CG/MIN/39553/2019

- संदर्भ:-
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/ 8-14/2024- एफ.सी. दिनांक 05.03.2025
 2. छ.ग. शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र क्र./एफ 5-56/2023/10-2 दि. 18.03.2025
 3. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त का पत्र क्रमांक/ मा. चि./ न. क्र. -154/ 2026/ 1612 दिनांक 01.07.2026

-00-

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करे। संदर्भित पत्र-1 के माध्यम से प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 05.03.2025 से वनभूमि व्यपवर्तन प्रकरण भटगांव भूमिगत खदान, एस.ई.सी.एल. भटगांव क्षेत्र, वनक्षेत्र रकबा 230.780 हे. (वनभूमि 63.930 हे.+ राजस्व वनभूमि 166.850 हे.) में 09 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है, जिसकी संसूचना संदर्भित पत्र-2 के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुई है।

उक्त के अनुक्रम में संदर्भित पत्र-3 के माध्यम से मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त अंबिकापुर द्वारा बिन्दुवार जानकारी प्रेषित की गई है, जो निम्नानुसार है:-

बिन्दु क्र.	वांछित जानकारी	प्रस्तुत प्रतिवेदन
i.	The State Govt. vide above referred letter has submitted the compliance of conditions stipulated in Stage-II approval vide letter No. 8-55/2016-FC dated 04.07.2017 for diversion of 75.055 ha of forest land for Bhatgaon mining project in favour of M/s SECL, wherein it has been observed that: -	उक्त प्रकरण में आवेदक संस्थान एस.ई.सी.एल. भटगांव क्षेत्र के संदर्भित पत्र के द्वारा बिन्दु क्रमांक -i के परिपेक्ष्य में उत्तर प्रस्तुत किया गया है कि 75.055 हेक्टेयर वन भूमि के डाइवर्जन के लिए पत्र संख्या 8-55/2016-एफसी दिनांक 04.07.2017 के माध्यम से दी गई अंतिम चरण की स्वीकृति, भटगांव भूमिगत खदान परियोजना के लिए नहीं है, बल्कि महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल. भटगांव क्षेत्र के अंतर्गत अन्य खदान महान II ओपनकास्ट परियोजना के लिए थी। वर्तमान प्रस्ताव

		भटगांव भूमिगत कोयला खदान परियोजना, के प्रथम चरण के लिए प्रस्तावित है।
a.	CA over the degraded forest land, twice in extent to the area of forest land proposed to be diverted shall be raised within a period of 3 years with effect from the date of issue of Stage-II clearance. However, the State Govt. has not submitted any compliance/information regarding the compensatory afforestation.	महान II ओपनकास्ट परियोजना के अंतिम चरण स्वीकृति पत्र क्रमांक 8-55/2016-एफसी दिनांक 04.07.2017 के माध्यम से दी गई स्वीकृति के अनुपालन में चाही गई जानकारी निम्नलिखित है:- आवेदक संस्थान के द्वारा, दिनांक 24/05/2017 को, RTGS संदर्भ संख्या SBINR 52017052400050585 के माध्यम से, CAMPA फंड खाता संख्या 15064109130952006 में 9,00,99,324/- रुपये की राशि जमा किया गया है। यह राशि महान II ओपनकास्ट परियोजना रकबा 75.055 हे. के बदले दुगुनी वनभूमि जो बलरामपुर वनमण्डल के कक्ष क्रमांक पी 591 रकबा 75.000 हे. एवं पी 195 रकबा 75.110 हे. कुल रकबा 150.110 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य हेतु राशि जमा किया गया है। वनमंडलाधिकारी, बलरामपुर वनमंडल द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट में दर्ज ब्योरे के अनुसार, कंपार्टमेंट संख्या पी 195 (क्षेत्रफल 75.110 हेक्टेयर) और कंपार्टमेंट संख्या पी 591 (क्षेत्रफल 75.000 हेक्टेयर) में, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण किया गया है। वनमंडलाधिकारी, बलरामपुर वनमंडल द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट की प्रति संलग्न है। संलग्नक - 01 (पृष्ठ संख्या 3 से 6 और 8 से 9)
b.	The State Govt. and the user agency shall implement the approved wildlife conservation plan along with conservation activities for Avifauna. The State Govt. has not submitted the action taken for implementation of approved wildlife conservation plan.	आवेदक संस्थान के द्वारा महान II ओपनकास्ट परियोजना के वन्यजीव संरक्षण योजना, जिसमें परियोजना क्षेत्र और उसके आस-पास पक्षियों का सर्वेक्षण, प्रलेखन और उनके आवास का प्रबंधन भी शामिल है, के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 24/05/2017 को RTGS संदर्भ संख्या SBINR 52017052400050585 के माध्यम से CAMPA फंड खाता संख्या 15064109130952006 में 53645000.00 रुपये जमा किए गए हैं। वनमंडलाधिकारी, बलरामपुर वनमंडल द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट में दर्ज ब्योरे के अनुसार वन्यजीव संरक्षण योजना का क्रियान्वयन किया गया है। वनमंडलाधिकारी, बलरामपुर वनमंडल द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट की प्रति संलग्न है। संलग्नक - 01 (पृष्ठ संख्या 3 से 6)
c.	User agency either himself or through the state forest department shall undertake gap planting and soil & moisture conservation activities to restock and rejuvenate the degraded open forests (having crown density less than 0.4), if any, located in the area within 100 mtr from outer perimeter of the mining lease. The State Govt. has not submitted any compliance/information regarding action taken to undertake gap plating and soil & moisture conservation activities to restock and	वन मंडलाधिकारी, बलरामपुर वनमंडल द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट में दर्ज ब्योरे के अनुसार, माइनिंग लीज की बाहरी सीमा से 100 मीटर के दायरे में स्थित बिगड़े वनों (जिनकी कैनोपी डेंसिटी 0.4 से कम है) को पुनर्जीवित करने के लिए गैप प्लानटेशन और मिट्टी व नमी संरक्षण गतिविधियों की कार्य योजना, बलरामपुर वनमंडल के कंपार्टमेंट नम्बर पी 2, रकबा 24.000 हेक्टेयर क्षेत्र में किया गया है। बलरामपुर वनमंडल

	rejuvenate the degraded open forests.	द्वारा जमा की गई अनुपालन रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है। संलग्नक - 01(पृष्ठ संख्या 3 से 6)
d.	User agency either himself or through the state forest department shall undertake afforestation on degraded forest to the area used for safety zone. The compliance/information for implementation of above condition has not been submitted by the State Govt.	वनमंडलाधिकारी, बलरामपुर वनमंडल द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट में दर्ज ब्योरे के अनुसार, सेफ्टी जोन का कार्य कंपार्टमेंट नम्बर पी2, रकबा 9.480 हेक्टेयर क्षेत्र में किया गया है। बलरामपुर वनमंडल द्वारा जमा की गई अनुपालन रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है। संलग्नक - 01(पृष्ठ संख्या 3 से 6)
	Further, the State has now given the detail of other FC proposals pertaining to the instant mine, which have been approved in the past. However, the status of compliance in their case has not been submitted. In this regard it is pertinent to mention here that as per para 7.8 (i) (e) of Chapter 7 of Van (Sanrakshshan Evam Samvardhan) Rules, 2023, any proposal for diversion of forest for mining involving any forest land in respect of which diversion has been approved earlier will invariably be submitted along with the present status of compliance of the conditions of all previous FCs duly certified by the concerned Regional Officer of the MoEF&CC. Therefore, State Government shall submit present status of compliance of the conditions of all previous FC approvals duly certified by the concerned Regional Officer of the MoEF&CC.	उक्त प्रकरण में आवेदक संस्थान एस.ई.सी.एल. भटगांव क्षेत्र के संदर्भित पत्र के द्वारा बिन्दु क्रमांक -i के परिपेक्ष्य में उत्तर प्रस्तुत किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के रीजनल ऑफिस, नागपुर के तकनीकी अधिकारी श्री दयानंद एन., के द्वारा, दिनांक 12.07.2025 को, एसईसीएल भटगांव क्षेत्र के अंतर्गत पूर्व में प्राप्त समस्त खदान के अंतिम चरण स्वीकृति के अधिरोपित शर्तों के अनुपालन की वर्तमान स्थिति के परिपेक्ष्य में संबंधित खदानों के मौका स्थल का निरीक्षण किया गया है। संलग्नक - 01 (पृष्ठ संख्या 1 से 48)
ii.	The Ministry vide its letter dated 14.08.2024 requested State Govt. to submit a copy of approved mining plan. However, the same has not been submitted by the State Govt. Therefore, the State Govt. shall submit a copy of the approved latest mining plan. The proposed land use in the diversion proposal should be commensurate with the mining plan. The detailed comparative analysis of the component wise area proposed for diversion and the component wise breakup as per mining plan shall be submitted. The reclamation plan shall also be submitted with the proposal.	उक्त प्रकरण में आवेदक संस्थान एस.ई.सी.एल. भटगांव क्षेत्र के द्वारा भटगांव भूमिगत खदान की नवीनतम अनुमोदित माइनिंग प्लान की प्रतिलिपि संलग्न है। संलग्नक - 02
iii.	The State Govt. has submitted the details regarding encroachment on surface on Bhatgaon underground lease area. However, the State govt. has not submitted the action taken regarding the removal of encroachment on the surface area of Bhatgaon underground lease.	भटगांव भूमिगत खदान के माइनिंग लीज क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के संबंध में, वन परिक्षेत्राधिकारी के पत्र क्रमांक/2026/प.लि./739 दिनांक 23.06.2026 के द्वारा उपपरिक्षेत्र तमोर के बीट भटगांव के कक्ष क्रमांक पी 1692 में वनभूमि पर 153 अतिक्रमकों के द्वारा अतिक्रमण कर अवैध निर्माण कर निवासरत हैं। अतिक्रमकों को अतिक्रमण हटाने के संबंध में नोटिस जारी किया गया है। वर्तमान में अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (छायाप्रति संलग्न) संलग्नक - 03 अ
iv.	The State Govt. has not clarified whether the approval under the Van Adhiniyam, 1980 has obtained in case of Helipads which have been developed during May 2022 in the Reserved Forest land (Range- Surajpur, Comp-1692P) and whether or otherwise.	भटगांव भूमिगत खदान परियोजना में आरक्षित वन भूमि पी-1692 में हेलीपैड निर्माण के संबंध में उपवनमण्डलाधिकारी सूरजपुर एवं वनपरिक्षेत्राधिकारी सूरजपुर के द्वारा जांच कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत

		किया गया। जिसके वर्तमान में उक्त क्षेत्र में, कोई भी हेलीपैड अस्तित्व में नहीं है। जांच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न है। संलग्नक – 03 ब
v.	Examination of the various project KML file as submitted by the State Govt. revealed that the KML file of Mahan Open Cast project is found overlapping with the instant mine lease boundary of Bhatgoan UG Mine. The State Govt. shall submit comments in the regard along with updated KML file.	उक्त प्रकरण में आवेदक संस्थान एस.ई.सी.एल. भटगांव क्षेत्र के द्वारा भटगांव भूमिगत खदान और महान ओपन कास्ट प्रोजेक्ट की KML फाईलों को अपडेट करने के लिए एक नया डी.जी.पी.एस. सर्वेक्षण किया गया है। भटगांव भूमिगत खदान और महान ओपन कास्ट प्रोजेक्ट की KML फाईलों को अपडेट करने के बाद, महान ओपन कास्ट प्रोजेक्ट की KML फाईल के भटगांव भूमिगत खदान की लीज सीमा के साथ ओवरलैप होने की समस्या का समाधान आवेदक संस्थान के द्वारा किया गया है। महान ओपन कास्ट प्रोजेक्ट और भटगांव भूमिगत खदान के डी.जी.पी.एस. रिपोर्ट की सत्यापित प्रति एवं के.एम.एल. फाईल संलग्न है। संलग्नक- 04 एवं 05
vi.	The State Govt. reported that the 15.420 ha Revenue Forest land was previously approved for Mahan OC Project. However, the KML file boundary of the same has not been submitted along with letter of approval obtained under the Van Adhiniyam, 1980. The same shall be submitted.	महान ओपन कास्ट प्रोजेक्ट की 15.420 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि, जिसके लिए पूर्व में ही पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के संदर्भित पत्र क्रमांक: 8 सी/14/1999 FCW/1177, दिनांक 20.05.2003 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है एवं महान ओपन कास्ट परियोजना क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट की सत्यापित प्रति एवं के.एम.एल. फाईल संलग्न है। संलग्नक-05 एवं 06
vii.	As per DSS analysis, out of 231.111 ha (as per KML file and 230.780 ha as per the proposal) forest land proposed for diversion for Bhatgaon UG mine, 2.924 ha Revenue Forest land is found overlapping with the Mahan OC Project boundary. The State Govt. shall submit comments in the regard along with updated KML file.	उक्त प्रकरण में आवेदक संस्थान एस.ई.सी.एल. भटगांव क्षेत्र के द्वारा नवीन डी.जी.पी.एस. सर्वेक्षण करने के बाद भटगांव भूमिगत खदान और महान ओपन कास्ट परियोजना की KML फाईलों को अपडेट किया गया है। इस अपडेट के बाद, भटगांव भूमिगत खदान की 2.924 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि के महान ओपनकास्ट परियोजना की सीमा के साथ ओवरलैप होने का मामले का निराकरण कर दिया गया एवं नये KML फाईल के अनुसार इन दोनों खदानों के बीच, सीमा क्षेत्र का ओवरलैप नहीं है। संलग्नक-04
viii.	DSS analysis reported that the State Govt. has calculated the distance of mine lease boundary w.r.t. the core of Tamor Pingla WLS due to this distance of proposed forest land is found to be 15.20 Km. However, the KML file of instant project boundary has been again checked by the DSS Cell of FC Division, and it is observed that the Mine lease boundary of instant project is touching the boundary of Tamor Pingla WLS and this fact has also been	तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य (WLS) के कोर क्षेत्र के संदर्भ में, भटगांव भूमिगत खदान (UG Mine) की लीज सीमा की दूरी के संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन), छठगढ़ के पत्र अनुसार 10 कि. मी. की परीधि में टाईगर रिजर्व एवं नेशनल पार्क एवं अभयारण्य नहीं पाया गया है। संदर्भित पत्र एवं मानचित्र की प्रति संलग्न है।

	verified using the Tiger Reserve and Tiger corridor boundary as available on the NTCA website https://ntca.gov.in/dss/#decision-support-system . Therefore, comments of CWLW in this regard needs submission along with KML file of Wildlife Sanctuary.	संलग्नक - 07
ix.	As per Subsidence Prediction Report attached with the proposal, the maximum value of predicted subsidence at the end of mining is 1.875 m. The peak horizontal strain is likely to be 24.46 mm/m at the end of 5 years of mining, 28.56 mm/m at the end of 10 years of mining and 30.56 mm/m at the end of mining. Wide cracks are also likely to be formed on the surface. Therefore, the State Govt. shall furnish comments regarding effect on surface vegetation and mitigation measures to minimize the effect of underground mining on the surface.	उक्त प्रकरण में आवेदक संस्थान एस.ई.सी.एल. भटगांव क्षेत्र के द्वारा उत्तर प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्ताव के साथ संलग्न 3D धंसाव पूर्वानुमान रिपोर्ट (Subsidence Prediction Report) वर्ष 2017 में तैयार की गई थी। लेकिन यह अध्ययन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन संरक्षण प्रभाग) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों (फाईल संख्या 5.3/2011.FC (Vol-I), दिनांक: 6 जनवरी 2022) के अनुसार नहीं था। इस संबंध में एक नया धंसाव पूर्वानुमान अध्ययन अब NITK, Surathkal के द्वारा प्रक्रियाधीन है। NITK, Surathkal को दिए गए वर्क आदेश जारी किया गया है। (छायाप्रति संलग्न) एवं आवेदक संस्थान के द्वारा वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम चरण स्वीकृति के अधिरोपित शर्त के साथ Subsidence Prediction Report प्रस्तुत की जावेगी। संलग्नक -08

अतः संदर्भ पत्र-1 के अनुक्रम में चाही गई उपरोक्तानुसार 09 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रेषित करने हेतु अनुशंसा सहित 02 प्रतियों में संलग्न है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार (02 प्रतियों में)
(वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
एवं प्रभारी अ.प्र.मु.व.स.
(भू-प्र./व.(सं. एवं. सं.) अ.)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र0/भू-प्रबंध/खनिज/331-262/1073
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़।
2. वनमंडलाधिकारी, सूरजपुर वनमंडल, सूरजपुर, छत्तीसगढ़।
3. महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल. भटगांव क्षेत्र, जिला सूरजपुर।

नवा रायपुर, दिनांक 08/07/2026


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
एवं प्रभारी अ.प्र.मु.व.स.
(भू-प्र./व.(सं. एवं. सं.) अ.)
छत्तीसगढ़